

कार्यालय—महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

ग्राम—डांडा लखौण्ड, पोस्ट गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई—मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com दूरभाष: 0135-2608763 फ़ैक्स: 0135-2608746

पत्रांक—3प/प0क0/58/2022(पार्ट-2)/२६५८५

दिनांक 28 अगस्त, 2023

सेवा में,

सहायक निदेशक (आई0टी0 सेल)
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:— सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 तथा सेरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 से सम्बन्धित सूचना/अभिलेख विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि राज्य में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 तथा सेरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के क्रियान्वयन की कार्यवाही गतिमान है।

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि आप निम्नवत् सूचना/अभिलेख विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें:—

1. सहायताप्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021
2. सेरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021
3. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) नियम, 2022
4. सेरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022
5. अधिसूचना संख्या—500(1)/XXVIII-2/2019-01(12)2022 दिनांक 30 सितम्बर, 2022
6. अधिसूचना संख्या—500(2)/XXVIII-2/2019-01(12)2022 दिनांक 07 अक्टूबर, 2022
7. अधिसूचना संख्या—1824/XXVIII-2/2019-01(12)2022 दिनांक 17 नवम्बर, 2022
8. अधिसूचना संख्या—177/XXVIII-2/2019-01(12)2022 दिनांक 15 फरवरी, 2023
9. अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या—117/वि0स0/94/संसदीय/2022 दिनांक 06 मार्च, 2022
10. कार्यालय ज्ञाप संख्या—450(1)/XXVIII-1/2023/1(12)/2022 दिनांक 11 अप्रैल

2023

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीया

S

(डा० सुनीता दुफाल)
संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी
(ए0आर0टी एण्ड सेरोगेसी)

12/10/22

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-5000/XXVIII-2/2019-01(12)2022
देहरादून: दिनांक सितम्बर, 2022

अधिसूचना

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा-6 एवं सरोगेसी (surogacy) (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा-26 में प्रदत्त अधिकारिता के अन्तर्गत उक्त अधिनियमों के सुसंगत प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार राज्य में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड का निम्नवत गठन किया जाता है:-

- (1) मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड। :अध्यक्ष (पदेन)
- (2) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन। :उपाध्यक्ष (पदेन)
- (3) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। :सदस्य (पदेन)
- (4) प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। :सदस्य (पदेन)
- (5) प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। :सदस्य (पदेन)
- (6) प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। :सदस्य (पदेन)
- (7) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून। :सदस्य (पदेन)
- (8) राज्य सरकार द्वारा नामित निम्नलिखित दस सदस्य:- :सदस्य

(क) प्रख्यात चिकित्सा अनुवांशिकीविद्

- (1) डा0 लतिका चावला, MBBS,MD(OBG) Advanced Training in Embryology, Associate professor, OBS Gynec, AIIMS Rishikesh, Dehradun
- (2) डा0 मीनू वैश, MBBS, MD, (OBG) FICMCH KGMC, ART Specialist, Dehradun.

(ख) प्रख्यात स्त्री/प्रसूती रोग विशेषज्ञ

- (1) डा0 सावित्री सिंह, MBBS (DGO), Renowned OBG. Gynae in Kumaon belt. Ex Director Medical Health and Family Welfare, Uttarakhand Nainital.
- (2) डा भागीरथी जोशी, MBBS MS (OBG).

(ग) प्रख्यात समाज विज्ञानी-

- (1) श्रीमती बिन्दुवासिनी, MSW, MA Sociology, Project Director, Institute of Social Development, US Nagar.
- (2) श्रीमती अनिता रावत, PHD, D.Phil, Msc, Director, Uttarakhand Science Education & Reserch Centre, Dehradun.

(घ) प्रख्यात महिला कल्याण संगठन से नामित प्रतिनिधि-

- (1) श्रीमती रेनू सरन, National President Women & child Department, Haldwani, Nainital.
- (2) सुश्री हेमलता बहन, Social Activist, Dehradun.

(ङ) प्रख्यात महिला एवं बाल स्वास्थ्य से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य करने वाली सामाजिक संस्था से नामित प्रतिनिधि-

- (1) श्री लॉरेन्स सिंह, COO/ Dy. Project Director at State Nari Niketan Kendra, Dehradun
- (2) श्रीमती अरुणा नेगी चौहान, Senior Associate (Legal) D Company Advocates & Solicitors, Dehradun

2363
Dir (MP)
11-10-22

ARO/10
12/10/22

9. संयुक्त सचिव (परिवार कल्याण) चिकि०स्वा० एवं चिकित्सा शिक्षा :सदस्य
विभाग, उत्तराखण्ड शासन से अन्यून सचिव (पदेन)

2-पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष का होगा।


3-उक्त अधिनियम की धारा-27 (e) में प्राविधानित तीन महिला विधान सभा सदस्यों को नामित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना पृथक से निर्गत की जायेगी।

(डा० आर. राजेश कुमार)
सचिव (प्रभारी)

संख्या-^{Sec (1)} /XXVIII-1 / 2022-(12)2022 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
5. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी/जिला अधिकारी।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, चिकि०स्वा० एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
10. समस्त नामित सदस्यगण।
11. संयुक्त सचिव,(परिवार कल्याण)/ सदस्य सचिव (पदेन), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
12. अधीक्षक एवं निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना के प्रकाशनार्थ।
13. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आजा से

(अमनदीप कौर)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- -- /XXVIII-2/2019-01(12)2022
देहरादून: दिनांक 7 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा-12(2) एवं सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा-35(2) में प्रदत्त अधिकारिता के अन्तर्गत उक्त अधिनियमों के सुसंगत प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु अधिनियम की धारा 12(3) एवं धारा-35(3) प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार राज्य में समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) निम्नवत गठन किया जाता है :-

- (1) संयुक्त सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन अथवा इनसे अन्यून स्तर का अधिकारी (पदेन) :अध्यक्ष
- (2) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड अथवा इनसे अन्यून स्तर का अधिकारी (पदेन) :उपाध्यक्ष
- (3) उप सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा इनसे अन्यून
स्तर का अधिकारी। :सदस्य
- (4) डा0 अनुपमा रवि फुटेला, (MBBS MD (OBG)), फुटेला अस्पताल,
उधमसिंह नगर, प्रख्यात, विशिष्ट पंजीकृत चिकित्सा सेवा प्रदाता। :सदस्य

2-पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल, इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष का होगा।

3-उक्त अधिनियम की धारा-35(3)(iii) में प्राविधानित महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रख्यात महिला को नामित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना पृथक से निर्गत की जायेगी।

(डा0 आर. राजेश कुमार)
सचिव(प्रभारी)

संख्या- ⁵⁰⁰⁰ /XXVIII-1/2022-(12)2022 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
5. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी/जिला अधिकारी।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
10. समस्त नामित सदस्यगण।

498

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-1824/XXVIII-2/2019-01(12)2022
देहरादून: दिनांक सितम्बर, 2022

अधिसूचना

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा-12(2) एवं सुरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा-35(2) में प्रदत्त अधिकारिता के अन्तर्गत उक्त अधिनियमों के सुसंगत प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु अधिनियम की धारा 12(3) एवं धारा-35(3) प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या-500(2)/XXVIII-2/2019-12(12)/2022, दिनांक 07 अक्टूबर 2022 के द्वारा गठित राज्य में समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) की धारा-35(a)(iii) में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत श्रीमती ब्यौमा जैन, District Probation and District Child Protection officer, Nainital को सदस्य नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-उक्त नामित सदस्य का कार्यकाल, इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष का होगा।

(डा० आर. राजेश कुमार)
सचिव (प्रमर्श)

1824
संख्या- /XXVIII-1/2022-(12)2022 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
5. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी/जिला अधिकारी।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
10. समस्त नामित सदस्यगण।
11. अधीक्षक एवं निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना के प्रकाशनार्थ
12. निदेशक, एनआईसी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार राय)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-177/XXVIII-2/2019-01(12)2022
देहरादून: दिनांक 15 फरवरी, 2023

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-500(2)/XXVIII-2/2019-12(12)/2022, दिनांक 07 अक्टूबर 2022 द्वारा गठित राज्य समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) के अन्तर्गत श्रीमती अमनदीप कौर, अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन को अध्यक्ष नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(डा० आर. राजेश कुमार)
सचिव

संख्या-177/XXVIII-1/2022-(12)2022 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
5. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी/जिला अधिकारी।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
10. समस्त नामित सदस्यगण।
11. अधीक्षक एवं निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना के प्रकाशनार्थ
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

430
Seen
and

Dir. (MH)

Dir. (MP) / Dir. (PP)

802

15-2-2023

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार राय)
उप सचिव

OK/PC/PNDT

21/02/23



विधान सभा सचिवालय

उत्तराखण्ड

(संसदीय अनुभाग)

संख्या: 117/वि0स0/94/संसदीय/2022


देहरादून, दिनांक 15 मार्च, 2022

अधिसूचना/प्रकीर्ण

माननीय अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा ने विकित्ता स्वास्थ्य एवं विकित्ता शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 203/XXIII-1-2022/01(12)/2022 दिनांक 16 फरवरी, 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित तीन महिला विधान सभा सदस्यों को सेरोनेसी (विकित्ता) अधियम-2021 की धारा-27(e) के अन्तर्गत अनुचित प्राधिकारी के गठन हेतु नामित किया है:-

1. श्रीमती सरिता आर्या, नैनीताल ग्राम भूमिवाघार मल्लीघार, अवाली, नैनीताल।
2. श्रीमती ममता राकेश, 28 भगवानपुर ग्राम- भगवानपुर, जिला- हरिद्वार।
3. श्रीमती सविता कपूर, कैन्टोनमेंट 223 इन्दिरानगर, जनपद देहरादून।

आज्ञा से,


(हेन चक्र पन्त)
प्रभारी सचिव।

संख्या: 117/वि0स0/94/संसदीय/2022, तददिनांक।

निम्नलिखित सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उत्तराखण्ड शासन के तत्त्व में निजी सचिव को माननीय अध्यक्ष की सूचनार्थ,
2. माननीय अनुभागी के निजी सचिव को माननीय मुख्यमंत्री की सूचनार्थ,
3. उत्तराखण्ड शासन के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
4. राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव को माननीय नेता प्रतिपक्ष की सूचनार्थ,
5. उत्तराखण्ड विधान सभा के समस्त सदस्यगण,
6. उत्तराखण्ड शासन, देहरादून,
7. उत्तराखण्ड शासन एवं विकित्ता शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन,
8. उत्तराखण्ड शासन, देहरादून,
9. प्रभारी सचिव, सेरोनेसी एवं सहायक कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
10. प्रभारी सचिव, सेरोनेसी एवं सहायक कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून,
11. प्रभारी सचिव, सेरोनेसी एवं सहायक कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून,
12. प्रभारी सचिव, सेरोनेसी एवं सहायक कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून,

(हेन चक्र पन्त)
प्रभारी सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या:- / XXVIII-1/2023/1(12)/2022
देहरादून: दिनांक: 11 अप्रैल, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

- सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 तथा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के कियान्वयन/अनुश्रवण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-508/XXVIII-1-2022-1(12)/2022, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के द्वारा डा0 सरोज नैथानी, निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को एतद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
2. उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 8 अप्रैल 2022 में संशोधन करते हुए सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 तथा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के कियान्वयन/अनुश्रवण हेतु नामित डा0 सरोज नैथानी के स्थान पर डा0 सुनीता चुफाल, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 तथा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के कियान्वयन/अनुश्रवण हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।
3. कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08 अप्रैल 2022 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(अमनदीप कौर)
अपर सचिव।

संख्या:- 450 (1) / XXVIII-1/2023/1(12)/2022

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. डा0 सरोज नैथानी, निदेशक(रा0का0) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय देहरादून।
3. डा0 सुनीता चुफाल, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशाल, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 तथा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021(25.01.2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित) के कियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना चाहें।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. विभागीय आदेश पुस्तिका।

DR. AMLESH

15/04/23

आज्ञा से,
(सुनील कुमार डोमाल)
अनु सचिव

AR/A
18.04.23

Sandeep

18/4/2023